राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dsUnzh; jkT; QkeZ] ljnkjx<+ ¼jkt-½

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2024–25 दिनांक–20.03.2025

fufonk@[kqyh cksyh lwpuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) में रबी 2024–25 के दौरान बोयी गयी 1073.5 एकड सरसो एवं 42 एकड तोरिया कुल क्षेत्रफल 1115.5 एकड सरसो/तोरिया की dVkbZ@xgkbZ हेतु सीलबन्द निविदा दिनांक 27.03.2025 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन सांय 3.15 बजे फार्म की समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदाये फार्म प्रमुख केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) के नाम, प्रति लॉट धरोहर राशि रूपये 5000/–(पांच हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन जो कि ''**नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़**''के नाम से सूरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु 236/– including 18% GST (नॉन रिफन्डेबल) का ड्राफ्ट देना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटायी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। उपरोक्त कार्य की दरें भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 236/– (नॉन रिफन्डेबल) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/शर्तों की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है व इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइड www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदादाता को निविदा भरते समय अपने पेन कार्ड/ GST की फोटोप्रति/आधार कार्ड व वर्तमान आवासीय पते हेतु फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी।

uksV & VsaMj fnol dks vijkgu 2-30 cts ds ckn dksbZ VsaMj QkeZ tkjh ugha fd;k tk;sxk o 3-00 cts ds ckn dksbZ Hkh VsaMj QkeZ Lohdkj ugha fd;k tk;sxkA

izca/kd ¼mRiknu½
Ñrs QkeZ izeq[k

d\Unh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jktLFkku½

क्रमांकः— सर/कृषि/20/2024—25 दिनांकः — 27.03.2025

ljlk@rkfj;k dh dVkbl@xgkbl d fu;e o 'krl

1. ठेकेदार को धरोहर राशि रूपये 5000/— (प्रति लॉट) का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन माध्यम द्वारा "**नेशनल सीडस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ**" के नाम से सूरतगढ में देय हो जमा करवाना होगा, जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद वापिस की जायेगी, जिसपर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. सरसों व तोरिया की कटाई व इकठ्ठा करने के लिए समबन्धित सफल ठेकेदार स्वयं ही मजदूरों व दराती आदि की व्यवस्था करेगा।
3. समबन्धित सफल ठेकेदार को फसल की कटाई के बाद एक मुरब्बे में चक इन्चार्ज के बताये अनुसार प्रति एकड एक बडा ढेर/मंडली लगानी होंगी। एक मुरब्बे मे सरसो नियमानुसार एकत्र करने के पश्चात दुसरे मुरब्बे मे कटाई प्रारम्भ करनी होगी।
4. सरसों/तोरिया की गहाई (थ्रेसिंग) समबन्धित सफल ठेकेदार को टेण्डर फार्म में दी गयी दरों के अनुसार करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा। थ्रेसिंग का कार्य फसल की ढेरियाँ इकठ्ठा होने के बाद 08—10 दिनों में ही पूरा करना होगा। कम्बाइन अनुपलब्धता की स्थिति मे सफल निविदादाता द्वारा टोका/थ्रेसर द्वारा गहाई नही करवायी जायेगी।
5. अनाज को फार्म के वाहन में लादना होगा एवं खलिहान साफ करने व अन्य कार्यों की जिम्मेदारी समबन्धित सफल ठेकेदार की होगी व इसके लिए श्रमिक समबन्धित सफल ठेकेदार के होंगे, फार्म किसी भी कार्य के लिए श्रमिक उपलब्ध नहीं करवायेगा।
6. कार्य चक इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के आदेशानुसार समबन्धित सफल ठेकेदार को करना होगा तथा किसी भी प्रकार का नुकसान समबन्धित सफल ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान किया जाता है तो इसकी भरपाई समबन्धित सफल ठेकेदार से की जायेगी।
7. समबन्धित सफल ठेकेदार या उसके आदमियों से फार्म का किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, तो फार्म कमेटी द्वारा तय किया गया हर्जाना समबन्धित सफल ठेकेदार को देना होगा।
8. व्यक्ति/ठेकेदार फार्म में काम लेगा, उसे ही कार्य पूरा करना होगा एवं यदि वह बीच में ही किसी कार्य को छोड़ता है, तब उसकी धरोहर राशि को जब्त करके फार्म के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. फार्म में कार्य के दौरान समबन्धित सफल ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक/मानव क्षति होने की स्थिति में समबन्धित सफल ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा व फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
10. इस ठेके में यदि कोई टैक्स (राज्य/केन्द्रीय)लगता है, तो उसे समबन्धित सफल ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवश्यक रुप से देना होगा। यदि पार्टी का आधार कार्ड , पेन कार्ड से लिंक नही होगा तो नियमानुसार 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
11. निविदा कार्य स्वीकृति के पश्चात कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त नियम व शर्तों को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को रु.500/— के नॉन—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर फार्म के साथ अनुबंध करना होगा जिसका खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
12. समबन्धित सफल ठेकेदार ठेका स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित समय में कार्य शुरु नही करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फार्म कार्य अन्य ठेकेदार से कराने के लिए स्वतन्त्र होगा। साथ ही ठेकेदार को फार्मों की काली सूची में डाल दिया जायेगा।
13. चकवाइज कटाई की तिथि चक/खण्ड प्रभारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। तिथि सूचित करने के 24 घन्टे के अन्दर कार्य आरम्भ करना होगा। समय से कार्य प्रारम्भ नही करने की स्थिति में कार्य अन्य ठेकेदार से कराया जायेगा तथा यदि दरों में कोई अन्तर आता है तो उसकी वसूली सम्बन्धित ठेकेदार की धरोहर राशि या बकाया बिल भुगतान से की जायेगी।
14. सरसो कटाई गहाई कार्य समय पर पूर्ण न करने की स्थिति मे समबन्धित सफल ठेकेदार को फार्म द्वारा निर्धारित की गयी रिकवरी राशी फार्म मे जमा करवानी होगी एंव फार्म स्वंय भी कम्बाइन एंव प्राइवेट कम्बाइन से (फार्म द्वारा निर्धारित दरो एंव नियम व ' शर्त के अनुसार सहमति पत्र के आधार पर) सरसो/तोरिया कटाई गहाई का कार्य करवाने हेतू स्वतन्त्र होगा।
15. **यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है। तो दोनों पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे । यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता हैए तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियमए 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा । इस प्रावधान के तहतए दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा । कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे । मध्यस्थता नई दिल्ली में और अँग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी । न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा ।**

fufonknkrk d gLRkk{kj

Bdnkj dk fooj.k

नाम :— ....

पिता का नाम :— ....

गांव व पोस्ट :— ....

जिला :— ....

फोन नं. :— ....

iu u-@ **GST** u0 %& ---------------------------------

b-,e-डी राशी &	
माध्यम	आनलाइन / आफलाइन
दिनांक	
चेक न./डी.डी न.	
UTR NO	

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान)

fufonk&i=

fnukad&27-03-2025

jch 2024&25 dh nkjku cks;h x;h ljlks@ rkfj;k dh dVkbZ@xgkbZ vkfn dk;Z grq

[k.M u0-	pd u0	ykV	{ks= ,dM+ esa	[ksrks esa [kM+h Qly dks gkFk ls dkVuk] ,df=r djds eMyh cukuk ¼,d eMyh izfr ,dM+½	[ksrks esa iM+s eMyh dks Lo;a dh dEckbu esa >kdus nkus QkeZ dh VªkWyh@VªD esa Hkjuk] [kfygku lkQ djuk o rkSyh@LVSd yxkuk		[ksrks esa iM+s eMyh dks QkeZ dh dEckbu esa >kdus nkus QkeZ dh VªkWyh@VªD esa Hkjuk] [kfygku lkQ djuk o rkSyh@LVSd yxkuk		खेतो में खड़ी फसल को कम्बाइन से कटाई करना एवं दाने फार्म ट्राली/ट्रक में भरना
				रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ जो फार्म में जमा कराऊँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ जो फार्म में जमा कराऊँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।	रुपये दर प्रति एकड़ से फार्म से लूँगा।
ljlks									
[k.M&4	42 ihch,u	I	285						
	43 ihch,u	I	36.0						
	44 ihch,u	I	124.0						
	45 ihch,u	I	173.0						
	46 ihch,u	I	254.0						
dqy [k.M&4			**872**						
	ljlks								
खण्ड–5	47 ihch,u	I	96.5						
	49 ihch,u	I	105.0						
	तोरिया								
	47 ihch,u	II	42.0						
	dqy [k.M&5		**243.5**						
	dqy QkeZ&		**1115.5**						

Bsdsnkj dk gLrk{kj